महत्वपूर्ण निर्देश

स्थायी निर्देश
क. 64/2016

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर (छ.ग.)

कमांक /वाकआ/तक./2016/ 771 रायपुर, दिनांक 28-01-16

प्रति,

वाणिज्यिककर अधिकारी (समस्त)
.....

विषय :— व्यवसाईयों द्वारा प्रस्तुत सी फार्म, एफ फार्म वृत्त कार्यालयों में संधारित करने बाबत।

——00——

केन्द्रीय विक्रयकर नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार 'सी' फार्म, 'एफ' फार्म, ई–1 या ई–2 फार्म को विहित प्राधिकारी के समक्ष, जिस अवधि से संबंधित घोषणापत्र है, उसकी समाप्ति के 3 माह के भीतर, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

2. चेम्बर आफ कामर्स तथा बार एसोसिएशन के सदस्यों की दिनांक 25.01.2016 को ली गई बैठक में सदस्यों द्वारा यह जानकारी दी गई कि वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी 'सी' फार्म, 'एफ' फार्म, ई–1 या ई–2 फार्म, उनके समक्ष प्रस्तुत करने पर, स्वीकार नही कर रहे हैं तथा करनिर्धारण के समय प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक एवं नियमों के विरूद्ध है।

3. अतः समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फार्म, 'एफ' फार्म, ई–1 या ई–2 फार्म को नियमानुसार लेकर उनकी वर्षवार प्रकरण की नस्ती में संधारित करें।

4. समस्त संभागीय उपायुक्त, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले वृत्तों में उपरोक्त निर्देशानुसार व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(संगीता पी.)
आयुक्त

पृष्ठा.क. /वाकआ/तक./2016/ 772 रायपुर, दिनांक 28-01-16

प्रतिलिपि :—

(1) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, समस्त की ओर सूचनार्थ।
(2) संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिककर, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(संगीता पी.)

कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/वाकआ/अ.आ/ऑडिट/2016 2339 रायपुर दिनांक 22.03.2016

प्रति,

समस्त सहायक आयुक्त,
समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी,
समस्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय :– **सी–फॉर्म की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर रियायती दर से करारोपण बाबत्।**

–000–

विषयांतर्गत महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के द्वारा अनेक प्रकरणों में यह आपत्ति ली गई थी कि करनिर्धारण अधिकारियों के द्वारा सी–फॉर्म की द्वितीय प्रति के आधार पर छूट देते हुये रियायती दर से करारोपण किया गया है, जिससे सी–फॉर्म के दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में लोक–लेखा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य में विभाग द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इस संबंध में समिति द्वारा विधि विभाग से अभिमत प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। विधि विभाग से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है :–

"सी–फॉर्म जारी किये जाने का मुख्य उद्देश्य विक्रेता डीलर द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय को छिपाये जाने से रोकना तथा कर के अपवंचन को रोकना है। सी–फॉर्म का **Original** गुम जाने, नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने की दशा में **Central Sales Tax Act, 1956, The Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rule, 1957** के नियम 8(5), (5–।) (प), (पप), (पपप) एवं (पअ) के उपबंधों का पालन करते हुये कार्यवाही किया जाना होगा। उक्त आपवादिक दशा को छोड़कर सामान्य दशा में **Central Sales Tax Act, 1957** के नियम **Rule 8(2)** एवं **8-D** के प्रावधानों के अनुसार सी–फॉर्म का मूल (Original) के रूप में अंकित प्रमाण पत्र को **Assessing Authority** के पास प्रस्तुत करना आज्ञापक है तथा सी–फॉर्म के द्वितीय प्रति (Duplicate) को मान्य कर, कर (Tax) में छूट दिया जाना नियम विरूद्ध कहलायेगा"

अतः विधि विभाग से प्राप्त उपरोक्त अभिमत के आधार पर करनिर्धारण प्रकरणों में जो मैनुवल सी–फॉर्म प्रस्तुत किये जाते हैं, उनमें सी–फॉर्म की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही छूट देते हुये रियायती दर से करारोपण की कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संगीता पी.)
आयुक्त
वाणिज्यिक कर,
छत्तीसगढ़

260
08.04.16